न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 153/2017 (225 आरटीए) हरिराम वगै. बनाम मांगीलाल वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00094)

1 हरिराम पुत्र स्व. श्री सांवलराम,
2 बाबूलाल पुत्र स्व. श्री सांवलराम,
3 जगदीश पुत्र स्व. श्री सांवलराम,
4 भागीरथ पुत्र स्व. श्री सांवलराम,
सभी जाति विश्नोई निवासी ग्राम गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी जिला जोधपुर।
5 श्रीमती जस्सी पत्नी श्री हरदेवराम पुत्री स्व. श्री सांवलराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम जाजीवाल विश्नोईयान तहसील व जिला जोधपुर।
6 श्रीमती सायरी पत्नी श्री हरलाल पुत्री स्व. श्री सांवलराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम गुडाविश्नोइयान भाकर वाली ढाणी, तहसील लूणी जिला जोधपुर।
7 श्रीमती शांतिदेवी पत्नी श्री मुकनाराम पुत्री स्व. श्री सांवलराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम लांबा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
8 श्रीमती बाबुड़ी पत्नी श्री रामूजी पत्नी श्री रामूजी उर्फ रामलाल पुत्री स्व. श्री सांवलराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम लांबा छत्तीस मील की ढाणियां तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
9 श्रीमती चंपा पत्नी प्रहलादराम पुत्री स्व श्री सांवलराम जाति विश्नोई निवसी ग्राम पीपरली विश्नोईयों की ढाणियां तहसील लूणी जिला जोधपुर।
10 श्रीमती सुगनादेवी पत्नी श्री मांगीलाल पुत्री स्व श्री सांवलराम जाति विश्नोई निवासी ग्रम रॉवर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
11 श्रीमती सोहनी देवी पत्नी श्री बलदेवराम पुत्री स्व. श्री सांवलराम जाति विश्नोई निवासी गुडाविश्नोईया जांगुओं की ढाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर।

.... अपीलांट्स

बनाम

1 मांगीलाल पुत्र स्व. श्री पेमाराम,
2 ओपाराम पुत्र स्व. श्री पेमाराम,
3 राजूराम पुत्र स्व. श्री पेमाराम,
4 श्यामलाल पुत्र स्व. श्री पेमाराम,
5 श्रीमती सुगनीदेवी पत्नी स्व. श्री पेमाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

सभी जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी जिला जोधपुर।

6 श्रीमती पंखी देवी पत्नी श्री भंवरलाल पुत्री स्व. श्री पेमाराम, जाति विश्नोई निवासी ग्राम फींच तहसील लूणी जिला जोधपुर।

7 श्रीमती विद्यादेवी पत्नी श्री शिवलाल पुत्री स्व. श्री पेमाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम सांवलताकला तहसील रोहट जिला पाली।

8 श्रीमती बरजु पत्नी श्री पुखराज पुत्री स्व. श्री पेमाराम जाति विश्नोई निवसी ग्राम बावरला तहसील व जिला जोधपुर।

9 राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार लूणी।

.... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी दिनांक 05.12.2017 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 61/2015

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया।

2 रेस्पो. सं. 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री सांगाराम चौधरी।

3 रेस्पो. 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 30.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 61/2015 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादीगण एवं रेस्पो. सं. 1 से 8 की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 61/2015 पेश किया कि वादीगण व रेस्पोडेंट सं. 1 से 8 के पक्ष में मूल वाद के विचाराधीन रहते हुए उपरोक्त वाद वर्णित भूमि में से खसरा नं. 229/1 मि., खसरा नं. 525/1 मि. एवं खसरा नं. 525/2 मि. के लिए अपने पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। जिस पर विद्वान सहायक कलेक्टर लूणी ने अपने आदेश दिनांक 29.

30/2017
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

09.2015 के द्वारा ग्राम गुडाविश्नोईयान के भूमि खसरा नं. 529, 529/1, 525, 525/1, 525/3, 523 एवं 528/3 तथा 529/1 मि., 525/1 मि., 529/2 मि., 525/2 मि. की बाबत अपीलार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की तथा एक पक्षीय पुलिस इम्दाद दिए जाने का आदेश दिनांक 12.10.2015 को जारी किया गया। प्रतिवादीगण अपीलार्थी ने इस वादीगण के वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब पेश किया लेकिन विद्वान सहायक कलेक्टर लूणी द्वारा विभाजन के 43 वर्ष बाद रेस्पो. सं. 1 से 8 व वादीगण के अस्थाइ निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर गैर कानूनी आदेश दिनांक 05.12.2017 को पारित करके उनके पूर्व में विधि विरुद्ध पारित एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 29.09.2015 की पुष्ठि करने का आदेश दे दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। एवं दिनांक 08.05.2018 को अपील को जरिए राजीनामा स्वीकार किए जाने बावत प्रार्थना पत्र पेश होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि

5 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत राजीनामा का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

6 इस प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्तागण की ओर से संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रार्थना पत्र बाबत अपील को जरिए राजीनामा स्वीकार किए जाने के लिए पेश हुआ कि अपीलार्थीगण एवं रेस्पो. सं. 1 से 8 रिश्ते में चचेरे भाई–बहिन हैं जिन्होंने लोक अदालत की भावना से गांव में राजीनामा निम्नानुसार कर लिया है।

- वादीगण प्रत्यर्थीगण मांगीलाल वगैरहा अपना दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विड्रो करके खारिज कराएंगे।
- बंटवाड़ा दिनांक 12.10.1972 एवं बंटवाडा नामांतरकरण सं. 298 यथावत रहेगा तथा उक्त बंटवाड़ा आज भी स्वीकार्य है।
- गांव के राजीनामा के अनुसार भूमि खसरा नं. 529/2 रकबा 8 बीघा पर अपीलार्थी हरिराम मौके पर काबिज है जिसका कब्जा मांगीलाल वगैरहा को सौंप दिया व कब्जा मांगीलाल वगैरहा का ही

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

रहेगा उसमें से 1 बीघा भूमि दक्षिण तरफ जोधाराम सारण के छेडे मांगीलाल वगैरा हरीराम के नाम रजिस्ट्री करवा देंगे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव के राजीनामा अनुसार अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.2017 को निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पोडेंट्स सं. 1 से 8 का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जरिए विड्रोल खारिज करने का निवेदन किया।

7 प्रकरण में उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। इस न्यायालय में धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायाल द्वारा पारित आदेश की अपील पेश की गई है। उक्त राजीनामा से इस न्यायालय स्तर पर किसी प्रकार के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जाना है बल्कि प्रस्तुत अपील राजीनामा के आधार पर स्वीकार की जानी है जिसमें कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जरिए विड्रोल खारिज किए जाने योग्य है।

8 अतः उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार अपील अपीलांट की स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जरिए विड्रोल खारिज किया जाता है।

30/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

9 निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर